Delhi area in November, 1958 for the recruitment of postmen is expected and the reasons for delay;

(b) whether it is a fact that candidates who took this examination were mostly matriculates or above;

(c) if so, the number of them separately;

(d) how many candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes took this examination and the number of vacancies actually to be filled up; and

(e) whether any special quota has been reserved for these poor communities in order to fill up the existing gap of reserved quota?

The Minister of Transport and Communications (Shri Jagjivan Ram): (a) The result of the examination was announced in April, 1959. Over 4,500 candidates appeared at the examination and hence there was some delay in the declaration of the results.

(b) Yes.

(c) Matriculates or above—2,922.

Non-matriculates—1,690.

(d) 590 candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes appeared at the examination. The total number of vacancies to be filled up was 105.

(e) Yes, Sir. For Scheduled Castes and Scheduled Tribes the reservation in Delhi is 16-2|3 per cent and 5 per cent respectively. If there is deficiency of qualified candidates of these communities in one unit, the shortage is made good by drawing surplus qualified candidates of these communities from other units. The unfilled quota is carried forward for 2 years. On this basis 42 vacancies were reserved for Scheduled Castes/Tribes in the November, 1958 examination which included unfilled reserved vacancies carried forward from the previous years.

जोधपुर मेल और पैसेंजर गाड़ी की गढी हरसरु स्टेशन पर टक्कर

५७९. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक ८ मई, १९६० को स्टेशन गढ़ी हरसरू के पास जोधपुर मेल और पैसेंजर गाड़ी में जो टक्कर हुई थी वह किस की गलती से हुई थी ;

(ख) मृत व्यक्तियों के परिवार को और घायल व्यक्तियों को सरकार ने क्या मुआवजा दिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि स्टेशन गढी हरसरू के होम सिगनल और आउटर सिगनल दोनों ही खराब थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस दुर्घटना की जिम्मेदार ठहराने के बारे में एडिशनल कमिश्नर, रेलवे सुरक्षा, रेलवे-शासन और रेलवे बोर्ड के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

(ख) ४०,७५४.५४ रुपये दिये जा चुके हैं जिसमें से २,४०० रुपये अनुग्रहधन के रूप में दिये गये ।

(ग) बाहरी और निकट दोनों सिगनलों में कोई बड़ी यांत्रिक खराबी नहीं थी लेकिन सिगनलों को झुकाते समय 'बाहरी सिगनल' तो पूरा झुक गया और हरी रोशनी देने लगा, पर 'निकट सिगनल' केवल थोड़ा झुका और उसमें से कुछ लाल रोशनी दिखायी पड़ रही थी ।

खालघाट के समीप रेल पर चुंगी

५८०. **श्री बड़े :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा-बम्बई मार्ग पर नर्मदा नदी पर खालघाट के समीप एक पुल है ;

(ख) क्या सदर पुल की गारन्टी समाप्त हो चुकी है ।

(ग) क्या सदर पुल पर आवागमन करने वाली मोटरों पर टोल टैक्स लिया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो किस दर पर ;

(ङ) क्या सदर टैक्स वसूल करने के लिये ठेका दिया जाता है ;

(च) इस प्रकार का टोल टैक्स अन्यत्र किन-किन पुलों पर लिया जाता है ; और

(छ) क्या सदर टोल टैक्स बन्द करने की शासन की नीति है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ग). जी, हां ।

(ख), (घ) और (ङ) : प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन में प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७ में तिलवाराघाट और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २६ में बारुरेवा नदी पर के पुलों पर टोल टैक्स लिया जाता है । ये पुल इन रास्तों को राष्ट्रीय मार्ग घाषित किये जाने से पूर्व प्रदेश सरकारों द्वारा निर्मित किये गये थे ।

(छ) केन्द्रीय सरकार का कोई भी टोल टैक्स नहीं है और ये टैक्स प्रदेश सरकारों द्वारा पुलों के निर्माण में व्यय पूरा करने के लिए एकत्र किये गये ऋण की अदायगी के लिये कभी-कभी लगाये जाते हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स के बारे में सरकार की सामान्य नीति अभी विचाराधीन है ।

अन्तर्राज्य परिवहन आयोग

५८१. **श्री बड़े** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन के समक्ष कौन-कौन से (१) अन्तर्राज्य मार्गों पर यात्री बसें चलाने और (२) अन्तर्राज्य मार्गों की गाड़ियों का एक्सटेंशन करने के बारे में सुझाव वर्ष १९५७ से १९६१ तक प्राप्त हुए ;

(ख) उपरोक्त (१) के सुझावों में से कौन-कौन से स्वीकार किये गये और कौन-कौन से अस्वीकार किये गये ; और

(ग) स्वीकृत सुझावों में कौन-कौन से अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सके ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ८ मार्च, १९५८ (जिस दिन अन्तर्प्रदेशीय परिवहन आयोग की स्थापना हुई थी) से १९६१ के साल के अन्त तक आयोग को २२ प्रार्थना पत्र जिनमें नये अन्तर्प्रदेशीय मार्गों पर बस सर्विस शुरू करने की खास तौर से मांग की गई थी और ८ प्रार्थना पत्र जिनमें मौजूदा अन्तर्प्रदेशीय मार्गों पर बस सर्विस को आगे बढ़ाने व उसमें अदल-बदल करने के विषय के सुझाव दिये गये थे, प्राप्त हुए ।

(ख) व (ग). नये रास्तों पर बस सर्विस शुरू करने के बारे में उक्त २२ प्रार्थना पत्रों में से ११ प्रार्थना पत्र मंजूर किये गये लेकिन बस सर्विस अभी सिर्फ दो रास्तों पर शुरू की गई है । आशा है कि यह बाकी ९ रास्तों पर जल्दी ही शुरू कर दी जायेगी बाकी ११ प्रार्थना पत्रों में से २ प्रार्थना पत्र सम्बन्धित रास्तों पर बस सर्विस के लिये पर्याप्त आवागमन न होने के कारण नामंजूर किये गये । शेष ९ प्रार्थना पत्रों पर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा जिन के पास ये प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा भेजे गये थे, विचार किया जा रहा है ।

Malaria Eradication Programme

582. Shri Bagri: Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the amount spent by Government on malaria eradication programme in Delhi, Himachal Pradesh,